The Hindu Plus Summary : 10.01.2024

मेन्स मास्टर

2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष क्यों था, और अब क्या होता है

वैश्विक तापमान रिकॉर्ड (2023):

• 1850 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से वर्ष 2023 सबसे गर्म रहा, जिसने 2016 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

• यूरोप की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) के अनुसार, 2023 में तापमान पिछले 100,000 वर्षों में किसी भी वर्ष से अधिक होने की संभावना है।

• यह 1850-1900 पूर्व-औद्योगिक स्तर के औसत से 1.48 डिग्री सेल्सियस अधिक और 2016 की तुलना में 0.17 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म बताया गया।

चरम मौसम की घटनाएँ (2023):

• बढ़ते तापमान ने वैश्विक स्तर पर चरम मौसम की घटनाओं की एक श्रृंखला में योगदान दिया, जिनमें लू, बाढ़, सूखा और जंगल की आग शामिल हैं।

• कनाडा ने रिकॉर्ड पर सबसे विनाशकारी जंगल की आग का मौसम देखा, मई से सितंबर के दौरान 45 मिलियन एकड़ से अधिक जल गया।

तापमान रिकॉर्ड और रुझान (2023):

• 2023 में, हर दिन पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया, जो रिकॉर्ड पर पहली बार दर्ज किया गया।

• लगभग 50% दिन 1850-1900 पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म थे।

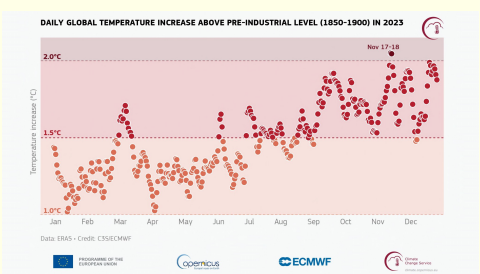

• विशेष रूप से, नवंबर में दो दिन 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म थे, यह घटना पहली बार देखी गई।

समुद्र की सतह का तापमान और बर्फ का विस्तार (2023):

• मार्च 2023 के मध्य से, वैश्विक दैनिक औसत समुद्री सतह का तापमान अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया।

• विभिन्न क्षेत्रों में समुद्री गर्म लहरें उठीं, जिससे भूमध्य सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन, हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक प्रभावित हुए।

अल नीनो का प्रभाव और 2024 की भविष्यवाणियाँ:

• पिछले साल अल नीनो की शुरुआत ने 2023 की अत्यधिक गर्मी में भूमिका निभाई।

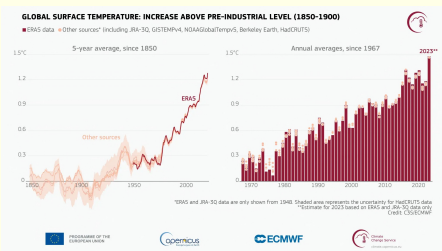

• वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2024 तापमान के मामले में 2023 से आगे निकल सकता है, जिसमें रिकॉर्ड टूटने की संभावना है।

• जैसा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने संकेत दिया है, आने वाले वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा को पार करने की संभावना है।

तत्काल कार्रवाई के लिए कॉल करें:

• 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के दीर्घकालिक उल्लंघन के परिणामस्वरूप अधिक गंभीर जलवायु परिवर्तन प्रभाव हो सकते हैं।

• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती सहित उपायों का तत्काल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, एक ऐसा कदम जिसे दुनिया अब तक हासिल करने में विफल रही है।

एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र पर लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक चरित्र को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई 1967 से चली आ रही है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) की व्याख्या पर निर्भर है, जो सभी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है।

प्रमुख बिंदु:

• **उत्पत्ति:** एएमयू की जड़ें मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल (एमओए) कॉलेज से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की थी। 1920 में, MOA ने विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया और AMU बन गया।

• **प्रारंभिक विवाद (1967):** पहली कानूनी चुनौती 1967 में एएमयू अधिनियम में संशोधन के बाद इसके प्रशासन ढांचे में बदलाव के बाद उत्पन्न हुई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मुसलमानों को इसका प्रबंधन करना चाहिए।

• **सुप्रीम कोर्ट का फैसला (1967):** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जबकि एएमयू की स्थापना मुस्लिम प्रयासों से हुई थी, केंद्र सरकार द्वारा पारित 1920 अधिनियम ने इसे अपने प्रशासन ढांचे और फंडिंग स्रोतों के कारण एक गैर-अल्पसंख्यक संस्थान बना दिया।

• **विरोध और संशोधन (1981):** देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद, सरकार ने 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन किया, और स्पष्ट रूप से इसे "भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित अल्पसंख्यक संस्थान" घोषित किया।

• **आरक्षण नीति और ताज़ा चुनौती (2005):** 2005 में, एएमयू ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। इसे 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनौती दी और खारिज कर दिया।

• **अपील और वर्तमान स्थिति (2006-वर्तमान):** केंद्र सरकार और अन्य दोनों ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की। 2016 में, एनडीए सरकार ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक अल्पसंख्यक संस्थान को समर्थन देने के बारे में आपत्ति व्यक्त करते हुए अपनी अपील वापस ले ली। 2019 में, मामला सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया, जिसने जनवरी 2024 में सुनवाई शुरू की।

व्यापक आउटलुक:

एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र पर विवाद अल्पसंख्यक अधिकारों, शैक्षिक स्वायत्तता और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के बारे में जटिल प्रश्न उठाता है। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र, अल्पसंख्यक, सरकार और न्यायपालिका सहित विभिन्न हितधारक शामिल हैं।

कई कारक जटिलता को बढ़ाते हैं:

• परस्पर विरोधी कानूनी मिसालें: 1967 और 1981 के फैसले एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति की विपरीत व्याख्या पेश करते हैं।

• **राजनीतिक विचार**: सरकार का बदलता रुख राजनीतिक विचारधाराओं और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण रणनीति के परस्पर क्रिया को दर्शाता है।

• **सामाजिक निहितार्थ:** इस फैसले का पूरे भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों और उनके समुदायों के लिए सीटें प्रबंधित करने और आरक्षित करने की उनकी क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा।

आगामी सात-न्यायाधीशों की बेंच की सुनवाई से इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद और एएमयू और भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के व्यापक परिदृश्य दोनों पर इसके प्रभाव पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित होने की संभावना है।

म्यांमार से पाकिस्तान तक, 2024 में भारत की संभावित सुरक्षा चुनौतियाँ

यह लेख हाल की वैश्विक घटनाओं से समानताएं और सबक लेते हुए 2024 में भारत की सुरक्षा चुनौतियों की एक जटिल और चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। यहाँ मुख्य बिंदु हैं:

वैश्विक रुझान:

• यूक्रेन युद्ध प्रमुख शक्तियों द्वारा विवादित क्षेत्र पर पारंपरिक युद्ध में शामिल होने की संभावना और परमाणु खतरों के संभावित उपयोग पर प्रकाश डालता है।

• हमास और हौथी हमले शिपिंग जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी और आश्चर्यजनक रणनीति का उपयोग करने वाले गैर-राज्य अभिनेताओं की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।

• ये संघर्ष खुफिया जानकारी एकत्र करने और अपरंपरागत खतरों की आशंका में कमजोरियों को उजागर करते हैं।

भारत की विशिष्ट चुनौतियाँ:

• **बाहरी**:

  ◦ चीन और पाकिस्तान व्यक्तिगत रूप से और उनके सहयोग के माध्यम से बड़े खतरे बने हुए हैं।

  ◦ म्यांमार की अस्थिरता और चीन समर्थक मालदीव का प्रभाव हानिकारक हो सकता है।

  ◦ पाकिस्तान में भारत विरोधी भावना उसकी चुनावी गतिशीलता के आधार पर बढ़ सकती है।

• **आंतरिक**:

  ◦ जम्मू जैसे एलआईसी-आईएस समूहों को वैश्विक विकास से प्रोत्साहन मिल सकता है।

  ◦ चुनावी मजबूरियाँ सुरक्षा निर्णयों और संसाधन आवंटन से समझौता कर सकती हैं।

  ◦ फंडिंग की कमी महत्वपूर्ण सैन्य आधुनिकीकरण में बाधा बन सकती है।

  ◦ सैन्य पदानुक्रम में आमूलचूल परिवर्तन (सीडीएस नियुक्ति, अग्निवीर योजना) युद्ध दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं।

भविष्य की चिंताएँ:

• गैर-राज्य अभिनेताओं और एआई जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों से जुड़े संघर्ष परिदृश्यों के सामने पारंपरिक युद्ध प्लेटफार्मों की प्रभावशीलता की भविष्यवाणी करना।

• इन जटिल और अप्रत्याशित खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा रणनीतियों को अपनाना।

समग्र आउटलुक:

• 2024 में भारत का सुरक्षा सूचकांक आंतरिक और बाहरी कारकों के संगम के कारण असुरक्षित प्रतीत होता है।

• अगली सरकार और उच्च रक्षा प्रबंधन टीम को इन चुनौतियों से निपटने के लिए चपलता और दूरदर्शिता की आवश्यकता होगी।

यह लेख आगे की चर्चा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है:

• भारत अपनी ख़ुफ़िया जानकारी एकत्र करने और ख़तरे का अनुमान लगाने की क्षमताओं को कैसे सुधार सकता है?

• गैर-राज्य अभिनेताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों का मुकाबला करने के लिए क्या रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं?

• भारत मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता के साथ चुनावी जरूरतों को कैसे संतुलित कर सकता है?

• सैन्य पदानुक्रम में परिवर्तन को प्रबंधित करने और युद्ध प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

इन सवालों का गंभीर विश्लेषण करके और सक्रिय उपाय करके, भारत 2024 और उसके बाद के विविध और संभावित अस्थिर सुरक्षा परिदृश्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकता है।

शॉर्ट सेलिंग

- 📉 शॉर्ट सेलिंग: अनुभवी व्यापारियों और निवेशकों द्वारा स्टॉक की गिरावट या अन्य सुरक्षा की कीमत पर अटकलें लगाने वाली निवेश या ट्रेडिंग रणनीति।

- 💼 अटकलें और हेजिंग: व्यापारी शॉर्ट सेलिंग को सट्टेबाजी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जबकि निवेशक या पोर्टफोलियो प्रबंधक इसे उसी सुरक्षा या संबंधित में लंबी स्थिति के नकारात्मक जोखिम के खिलाफ बचाव के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अटकलें पर्याप्त जोखिम रखती हैं, जबकि हेजिंग में जोखिम जोखिम को कम करने के लिए ऑफसेटिंग स्थिति रखना शामिल है।

- 📊 प्रक्रिया: शॉर्ट सेलिंग में, स्टॉक, बॉन्ड या अन्य परिसंपत्ति के शेयरों को उधार लेकर एक स्थिति खोली जाती है, जिसके बारे में निवेशक को लगता है कि मूल्य में कमी आएगी। उधार लिए गए शेयर खरीदारों को बेचे जाते हैं, व्यापारी शर्त लगाता है कि उधार लिए गए शेयर वापस करने से पहले कीमत में गिरावट जारी रहेगी।

- ⚠️ जोखिम: छोटी बिक्री पर नुकसान का जोखिम सैद्धांतिक रूप से असीमित है क्योंकि किसी भी संपत्ति की कीमत अनंत तक चढ़ सकती है।

50 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर पर एक नज़र

- 🐅 प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व: 1973 में लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना था, जिससे 18 राज्यों में 54 रिजर्व की स्थापना हुई, जिसमें 78,135.956 वर्ग किमी शामिल थे। इस पहल के कारण वनवासियों और संरक्षण प्रयासों के बीच संघर्ष हुआ।

- 🐯 बाघ जनगणना विकास: बाघ जनगणना विधियां अविश्वसनीय पग-मार्क तकनीकों से अधिक सटीक कैमरा-ट्रैप विधियों तक विकसित हुईं, जिसमें भारत की बाघों की आबादी 3,167-3,925 होने का अनुमान लगाया गया, जो दुनिया की बाघों की तीन-चौथाई आबादी की मेजबानी करने का दावा करती है।

- 🌲 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का प्रभाव: 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने से राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का निर्माण हुआ, जिससे वनवासियों के अधिकारों पर असर पड़ा, संघर्ष हुआ और बाघों के साथ रहने वाली पीढ़ियों को विस्थापित होना पड़ा।

- 🐾 टाइगर टास्क फोर्स और एनटीसीए: प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में 'टाइगर टास्क फोर्स' नियुक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप 2006 में संशोधन हुआ जिसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और एक बाघ संरक्षण योजना की स्थापना की, जिसमें दोनों बाघों की सुरक्षा की आवश्यकता को संबोधित किया गया। और जिन जंगलों में वे निवास करते हैं।

- 🌳 वन अधिकार अधिनियम और संघर्ष: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए) ने प्रथागत वन अधिकारों को मान्यता दी और 'क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट' (सीडब्ल्यूएच) अवधारणा पेश की। हालाँकि, जल्दबाजी में दी गई अधिसूचनाओं और समावेशी परामर्श की कमी ने वनवासियों के जीवन को प्रभावित किया और संघर्ष-ग्रस्त परिदृश्य को जन्म दिया।

- ⚖️ संतुलित दृष्टिकोण: लेख प्रभावित वनवासियों के लिए सूचित सहमति, पुनर्वास और पुनर्वास प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर देता है, मौजूदा कानूनों और उनके कार्यान्वयन के बीच विसंगतियों को उजागर करता है, जंगल के अधिकारों और आजीविका के साथ बाघ संरक्षण को संरेखित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण का आग्रह करता है- आवास समुदाय.

प्रीलिम्स बूस्टर

भारत और विशाल रेडियो दूरबीन

- 🛰️ औपचारिक प्रवेश और वित्तीय प्रतिबद्धता: भारत ने औपचारिक रूप से स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (एसकेए) परियोजना में शामिल होने का फैसला किया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग है जो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए काम कर रहा है और निर्माण के लिए 1,250 करोड़ रुपये आवंटित कर रहा है, जो इसकी गहरी भागीदारी को दर्शाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग।

- 🔬 भारत की वैज्ञानिक संलग्नताएँ: SKA में भारत की भागीदारी अन्य अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयासों जैसे LIGO नेटवर्क, परमाणु संलयन के लिए ITER परियोजना और कण भौतिकी के लिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) में योगदान में इसकी भागीदारी को बढ़ाती है।

- 📡 एसकेए प्रोजेक्ट के बारे में: एसकेए में सामूहिक रूप से काम करने वाले हजारों डिश एंटेना शामिल होंगे, जिसका लक्ष्य एक प्रभावी रेडियो तरंग संग्रहण क्षेत्र प्राप्त करना है, जिसका शुरू में उद्देश्य एक वर्ग किलोमीटर को कवर करना था। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में एंटेना स्थापित किए जा रहे हैं, जिनकी उन्नत क्षमताएं मौजूदा उन्नत रेडियो दूरबीनों की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली होने का अनुमान है।

- 🇮🇳 भारत के लिए लाभ: पूर्ण सदस्यता महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी लाभ, एसकेए सुविधाओं तक अधिमान्य पहुंच और विभिन्न संस्थानों और निजी कंपनियों में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान विस्तार के अवसरों का वादा करती है।